

०२ $\frac{11}{22}$ पत्रावली पेडा दुई वकील वादी व प्रतिवादी
को नोटिस नामील करवाने हेतु बार-बार
आवसर किने जाणे के उपरान्त भी नोटिस
नामील नही करवाने पर पत्रावली आदेश
उत्प्रेषण ५ सी.पी.सी के तहत खारीज की
जाती है पत्रावली केवल सुमार होकर नम्बर
से कम की जाकर कारवील दफतर ही।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

